| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>डॉ. चन्द्र भानु राजपुरोहित, एडवोकेट 417–बी, बापू नगर (विस्तार) आई.जी. पब्लिक स्कूल के पीछे, पाली (राजस्थान) 306401<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 32/2022<br>जीसीएमएस नं. :– 2022/34<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

–: निर्णय :–

4/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 15.11.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/414/2021/375 दिनांक 04.03.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर नियोजक पाली/तहसीलदार जैतारण से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/414/2021/1760 दिनांक 23.11.2021 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। इस पर सहायक निदेशक लोक सेवाएं पाली द्वारा जरिये पत्रांक/एडीपीएस/राज.स./आरटीआई/2020/1146 दिनांक 01.10.2021 के सूचना भिजवाने पर अपीलांट को जरिये पत्रांक 1851 दिनांक 07.12.2021 के निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। तथा अन्य सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व/राजस्थान सम्पर्क शाखा, कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से इस कार्यालय के जरिये पत्रांक/ 1762 दिनांक 23.11.2021 के वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई थी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, जैतारण/सहायक नगर नियोजक पाली को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया इस पर लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर नियोजक द्वारा वांछित सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को प्रेषित कर दी गई तथा इस बाबत अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने बाबत अवगत करा दिया गया। तहसीलदार जैतारण व राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली/राजस्थान सम्पर्क शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी क्रमशः तहसीलदार जैतारण व अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली व तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली